

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या 1848 / 2010 / सवाईमाधोपुर

मैसर्स कमलेश कुमार
पुत्र श्री बालकृष्ण, सवाईमाधोपुर

.....अपीलार्थी

बनाम

सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी,
उड़दनदस्ता-II, राज., जयपुर।
हाल- सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी,
वार्ड-द्वितीय, प्रतिकरापवंचन,
राजस्थान, वृत्त-प्रथम, जयपुर

.....प्रत्यर्थी

एकलपीठ

श्री मदन लाल मालवीय, सदस्य

उपस्थित : :

अनुपस्थित
श्री आर.के.अजमेरा,
उप-राजकीय अभिभाषक

.....अपीलार्थी की ओर से

.....प्रत्यर्थी की ओर से

निर्णय दिनांक : 03.07.2017

निर्णय

अपीलार्थी द्वारा यह अपील उपायुक्त (अपील्स), वाणिज्यिक कर, भरतपुर (जिसे आगे "अपीलीय अधिकारी" कहा जायेगा) के द्वारा अपील संख्या 145/उपा. अपील्स/2008-09 में पारित आदेश दिनांक 26.05.2010 के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है, जिसके द्वारा उन्होंने सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, उड़दनदस्ता-II, राज., जयपुर (जिसे आगे "कर निर्धारण अधिकारी" कहा जायेगा) द्वारा पारित आदेश दिनांक 16.01.2009 को राजस्थान मूल्य परिवर्द्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे "अधिनियम" कहा जायेगा) की धारा 76(9) के तहत सृजित कुल मांग राशि रूपये 82,500/- को यथावत रखा है है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा दिनांक 12.01.2009 को वाहन संख्या आरजे-25-जीए-0074 का निरीक्षण रोड़ नं. 14 से अजमेर रोड़ पर किया गया। वाहन में लोहा सैक्शन व चैनल पाया गया जो कि जयपुर से गंगापुरसिटी जाना बताया। वाहन चालक ने बंद लिफाफा प्रस्तुत किया जिसे खोलकर देखने पर एक टेण्डर (मैसर्स शंकर स्टील सप्लायर) का चालान नं. 97 की एक प्रति पाई गई। अतः धारा 76(2)(b) के प्रावधानों का उल्लंघन मानकर वाहन को माल सहित निरुद्ध किया एवं माल मालिक को धारा 76(9) के तहत नोटिस जारी किया गया। नोटिस की पालना में प्रस्तुत जवाब को सन्तोषप्रद नहीं मानते हुए कर निर्धारण अधिकारी द्वारा धारा 76(2)(b) के उल्लंघन होने के कारण अधिनियम धारा 76(9) के तहत शास्ति रूपये 82,500/- आरोपित करते हुए आदेश दिनांक 16.01.2009 पारित

किया। कर निर्धारण अधिकारी के उक्त आदेश से क्षुब्ध होकर अपीलार्थी व्यवहारी की ओर से अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत करने पर उन्होंने आरोपित शास्ति की पुष्टि करते हुए अपील अस्वीकार कर अपीलाधीन आदेश दिनांक 26.05.2010 पारित किया है, जिससे असन्तुष्ट होकर यह अपील अपीलार्थी की ओर से प्रस्तुत की गई है।

अपीलार्थी अपील सुनवाई के समय उपस्थित नहीं हुआ है किन्तु उनकी ओर से डाक द्वारा लिखित रूप से जवाब प्राप्त हुआ जिसे पत्रावली में शामिल किया गया, जिसमें जाहिर किया कि वाहन संख्या आरजे-25-जीए-0074 को दिनांक 12.01.2009 को चैक किया गया। वाहन में आयरन स्टील ले जाया जा रहा था। चैकिंग के समय ड्राइवर के पास चालान नं. 97 दिनांक 12.01.2009 साथ था। चालान में माल का विवरण, वजन, दर तथा माल की कीमत तथा वैट लगा हुआ था, इसमें वाहन नं. भी लिखा हुआ था। इस प्रकार चालान में अधिनियम की धारा 76(2)(b) के अनुसार सभी विवरण शामिल है। धारा 76(2)(b) में शब्द "Clallan" भी है। अतः चालान से माल भेजना 76(2)(b) के अनुसार नियमानुसार है। लिखित जवाब में यह अंकित किया गया है कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा नोटिस जारी करने पर, उसकी पालना में जवाब के साथ बिल भी पेश किया है, जिससे माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने "State of Rajasthan v/s D.P. Metals 124 nSTC 611" में यह निर्णय दिया है कि "if by mistake some of the document are not readily available the time of checking, principles of natural justice may require some opportunity being given to produce the same" इस प्रकार 76(2)(b) की पालना हो जाती है। चैकिंग के समय बिल्टी न होना इस सम्बन्ध में निम्न है कि ट्रकों की 8 दिन से हड़ताल चल रही थी। ट्रांसपोर्ट कम्पनी से माल का लदान बंद है। व्यक्तिगत रूप से किराए पर लिया था इसीलिए बिल्टी माल के साथ नहीं थी। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने "State of Rajasthan v/s tajender pal" के प्रकरण में "Driver was carrying all necessary paper, invoice and no tax was due makes out a case that the vehicle was carrying the goods along with requisite document without intention to avoid or evade tax. That being so, the discretion vested in assessing authority was not liable to be exercised even if there was technical violation of sub sec 10A to impose the penalty equal to 50% of the value of the goods, though was noticed by us no case of violation of sub-sec (10-A) was spelt but in notice under sec-78. Thus penalty came to imposed without affording opportunity to the driver to defend himself. The levy of penalty thus being in breach of requirements of sub sec (10-A) and in breach of principle of natural justice could not have been sustained"



माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के निर्णयों व तर्कों के आधार पर अपील स्वीकार करने का निवेदन किया गया है।


प्रत्यर्थी विभाग की ओर से विद्वान उप राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि वक्त चेकिंग परिवहनित माल के साथ अधिनियम की धारा 76(2)(बी) के अन्तर्गत विहित आवश्यक दस्तावेज यथा बिल उपलब्ध नहीं था, इसलिए कर निर्धारण अधिकारी ने अधिनियम की धारा 76(2)(बी) के प्रावधानों का उल्लंघन मानते हुए अधिनियम की धारा 76(9) के अन्तर्गत शास्ति आरोपित की गई, जो माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा मैसर्स गुलजग इण्ड. के प्रकरण में प्रतिपादित मत के अनुसार उचित है। उन्होंने कथन किया कि विद्वान अपीलीय अधिकारी ने प्रकरण के तथ्यों का समग्र रूप से विवेचन करते हुए कर निर्धारण अधिकारी द्वारा आरोपित शास्ति को यथावत रखा है, जो पूर्णतः उचित है। उन्होंने उक्त कथन के आधार पर प्रस्तुत अपील अस्वीकार करने का निवेदन किया।

उप राजकीय अभिभाषक की बहस सुनी गयी, अपीलार्थी की ओर से भेजे गये लिखित बहस पर मनन किया गया तथा बहस के दौरान उद्धृत किये गये न्यायिक दृष्टान्तों का ससम्मान किया गया है। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि वक्त चैकिंग वाहन चालक द्वारा चालान संख्या 97, जिसमें वाहन संख्या का अंकन किया हुआ व कांटापर्ची प्रस्तुत की एवं वक्त चेकिंग प्रस्तुत कांटा पर्ची संख्या 4 से 3770 कि0ग्रा0 माल ज्योति स्टील से भरना प्रमाणित होता है। वक्त चेकिंग दस्तावेजों के साथ बिल नहीं होने से कर निर्धारण अधिकारी द्वारा अधिनियम की धारा 76(2)(बी) के प्रावधानों का उल्लंघन मानकर कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। नोटिस की पालना में व्यवहारी की ओर से जवाब के बिल संख्या 97 दिनांक 12.01.2009 प्रस्तुत किया गया है, जो पत्रावली के पेज 10 पर उपलब्ध है। उक्त इनवाइस में 4 प्रतिशत की दर से वैट रु. 10,519/- चार्ज किया है। वक्त चेकिंग प्रस्तुत किये गये चालान एवं जवाब के साथ प्रस्तुत किये गये वैट इनवाइस में कोई अन्तर नहीं है। व्यवहारी की ओर से उद्धृत माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने "State of Rajasthan v/s D.P. Metals 124 STC 611" में यह निर्णय दिया है कि "it by mistake some of the document are not readily available at the time of checking, principles of natural justice may require some opportunity being given to produce the same"

उपरोक्त विवेचन से यह स्पष्ट है कि वक्त चेकिंग प्रस्तुत किये गये चालान में वाहन संख्या अंकित है एवं प्रस्तुत किये गये इनवाइस नम्बर 97 में भी वाहन संख्या का अंकन किया गया है। इसके अतिरिक्त चालान एवं बिल अंकित माल विवरण में कोई अन्तर नहीं पाया गया है। वक्त चेकिंग परिवहनित माल एवं बिल में अंकित माल में भी कोई अन्तर नहीं पाया गया है, जिससे व्यवहारी का करापवंचन का दोषी मनोभाव

प्रमाणित नहीं होता है । कर निर्धारण अधिकारी द्वारा उनके समक्ष प्रस्तुत किये गये दस्तावेजों को मिथ्या अथवा कूटरचित होना प्रमाणित नहीं किया गया है । उपयुक्त तथ्यों एवं माननीय सर्वोच्च न्यायालय के उपरोक्त उद्धृत के आंलोक में कर निर्धारण अधिकारी द्वारा शास्ति आरोपित किया जाना उचित नहीं है । विद्वान अपीलीय अधिकारी ने उक्त तथ्यों पर ध्यान में दिये बिना ही कर निर्धारण अधिकारी द्वारा आरोपित शास्ति को यथावत रखा है, जिसे उचित नहीं ठहराया जा सकता है । फलतः अपीलीय अधिकारी के अपीलाधीन आदेश को अपास्त करते हुए प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाती है ।

निर्णय सुनाया गया ।


(मदन लाल मालवीय)
सदस्य